


A project on
Misuse of women law

Collage: Rajasthan university
Dep. of law fyc



Submitted to:
Hon'ble Mr. Justice N. k. jain

Submitted by:
Deepika verma



RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR
Projects by Law Students



Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION



Under the guidance of Hon'ble Mr.
Justice N.K. Jain.
(Former Chief justice of Madras
and Karnataka
High Court)
Chairperson, RSHRC

SECRETARIAT

Prepared by:- Internship students of
various law university and colleges.

HUMAN RIGHTS COMMISSION

- Human Rights Commission is an autonomous body to protect and promote basic rights of citizens. Its primary aim is to help every deprived person to acquire equal status in society.
- By the Parliamentary act there is National Human Rights Commission at New Delhi and each state has State Human Rights Commission. This commission has power equivalent to a civil court. It has equivalent power to hear the plea of sufferer and give recommendation to concerned department to work on it. Its recommendation has a high stake and non performance on its recommendation can lead to questioning in the Legislative Assembly. Otherwise the government has to give reason for not compliance. The commission or the other party can file writ petition in the High Court.

Hon'ble Chairperson and
Members Of Rajasthan State
Human Rights Commission are:
From 06-07-2005

Justice N K Jain,
(Chairperson)

Members:-

- Justice Jagat Singh
- Shri D.S.Meena
- Shri Pukhraj Seervi





मुख्यमंत्री द्वारा 'न्यूज लेटर' का विमोचन।










Misuse of women law


On the face of it, the law appears to be a blessing for people in abusive or violent relationships. However, a careful analysis reveals that, under the ploy of “women and children welfare”, this law is yet another misguided attempt to enact legislation to grant women legal supremacy over men and to create a society where men are deprived of their rights.




- 
- There are three fundamental problems with this law –
 - a) it is overwhelmingly gender biased in favor of women,
 - b) the potential for misuse is astounding and
 - c) the definition of domestic violence is too expansive.
 - The DV act singles out men as perpetrators of domestic violence and assumes that only women are victims. As per this law, only a woman can file a complaint against her male partner. A man, who is a victim of domestic violence, has no rights under this law.


- The fact is that it has been comprehensively proven in numerous studies that women are no less abusive as men in intimate relationships. Giving such sweeping legal powers to women while withholding protection to male victims is tantamount to systematic legal victimization of men. In the western world, the domestic violence laws are gender neutral and provide protection to the victims, both men and women. The fact that the Indian version explicitly prohibits any male victim to seek relief under this law defies all logic and is beyond comprehension.




- The second significant flaw in this law is that it lends itself to such easy misuse that women will find it hard to resist the temptation to “teach a lesson” to their male relatives and will file frivolous and false cases. A similar trend is already being observed in the case of anti-dowry law (498a), which is being misused to such an extent that the Supreme Court has termed it “Legal Terrorism”. To illustrate how easy it is to misuse the DV law, consider the scenarios below. [She means wife/female live-in partner and he means husband/male live-in partner] .
- 

- a) If she demands any amount of money from him, for any reason whatsoever, he is legally bound to pay that amount in full, failing which he can be imprisoned. Under the pretext of preventing economic abuse of women, this law legalizes the extortion of money by women. Interestingly, if he asks for money from her, he can be jailed for that as well. Furthermore, he is responsible for paying the rent if the couple resides in a shared rented accommodation .




- 
- b) As per the law, she retains the right to the residence. This is a very convenient means of getting control of the house regardless of whether she has any legal right on the property. Moreover, if he is booked under DV, he is responsible for paying the rent as well, even though he may not be allowed to live in the house or he might even be in jail.
 - c) If she decides not to cook and wishes to eat out in a restaurant everyday, he cannot afford not to oblige, lest he invites the DV provision for "not providing food", for which he could be jailed.

- d) If she has an affair and he tries to prevent her from meeting her lover, he could be punished under the DV act, as he is preventing her from meeting someone.
- e) He can be booked under the DV act if she feels that she has been insulted. Insult is a relative term, which is totally left to her discretion. Interestingly, if she insults and abuses him verbally or even physically, he does not have any legal recourse in this law .




- These are just some of the ways in which women can exploit men in a legally permitted manner. The fact that the complaint by a woman will be treated, prima facie, as “true and genuine” opens up a whole new realm of possibilities where innocent men will be accused and implicated in false cases, just because they refuse to give in to her unreasonable demands.




- Most people readily agree that the law will be misused. Their counter arguments generally are


a) The number of miuses will be very low OR every law is misused – The objective of any law should be to punish the guilty and protect the innocent. The persecution of innocents cannot be justified in any circumstances. As is the case with 498 A, this law will be heavily misused in urban India.




- b) If she is happy, then why will she file a complaint – Ah ! So, the man exists at the mercy of the woman. If the wife wants to kick out old parents from home or wants to pursue an affair and should the man dare to object, she can get him incarcerated with alacrity. Any law that forcefully subjects a section of a society to conduct as per the pleasure of another section is deemed oppressive and should be vehemently opposed.




- c) There are other provisions to deal with the misuse of this law – The fact is that there are other legal provisions to deal with domestic violence as well. If a strict law is made for a specific purpose, then the provisions for dealing with its misuse should be in the law itself.




- The third major flaw in this law is that it provides an all-encompassing definition of domestic violence and some terms (insults, name calling) are extremely subjective. The radical feminists claim that 70% of women in India face domestic violence which comes as no surprise as even an insult is considered domestic violence. Interestingly, they are mum on how many indian men suffer domestic violence using the same criteria.




- This law strikes at the very foundation of marriage by promoting intolerance and litigation for petty domestic disputes. It is universally recognized that from time to time differences arise in a marriage and sometimes people, both men and women, behave in hurtful ways towards each other. Most people, though, are able to work them out and lead a more or less happy life with their loved one.




- However, this law makes it very easy to escalate the domestic problems in daily life to such a level that it eventually leads to a breakdown in marriage. Once a man has been accused of domestic violence for a something relatively minor (insult), while he might have been subjected to the same treatment from her, he will perpetually feel threatened by his partner and that is the beginning of the end. This law will lead to more divorces, broken homes and the children will pay the ultimate price by getting deprived of a pleasant childhood.





- There are degrees of domestic violence and not all conflicts in a relationship can be termed as domestic violence. This law trivializes the issue of domestic violence by including minor differences in its realm and by explicitly denying protection to half of the population.
- The law in its current form is grossly inadequate to tackle the problem of domestic violence. It imposes a lot of responsibility on men, without giving them rights.



- On the other hand, it gives lots of rights to women without requiring them to be responsible. At the very minimum, it should be made gender neutral, offering protection to both men and women. Also, provisions for stringent punishments need to be incorporated into the law to prevent misuse. Moreover, the law needs to be made more practical by differentiating between various degrees of conflicts and by unambiguously defining what constitutes domestic violence.



- The fact is domestic violence is a serious problem and a neutral and unprejudiced law is needed to protect the genuine victims of domestic violence, irrespective of gender. The perpetrators of domestic violence need to be appropriately punished and dealt with. At the same time, protection cannot be withheld from real victims for any reason whatsoever, least of all their gender. One can be certain that there is something sinister about a law, when it intimidates and instills fear in innocent people. When a person who has not committed any crime, begins to fear punishment under the provisions of a law, it is not a law anymore – it is state sponsored terrorism.
- 

- Innocent families are being victimized. the misuse of women protection laws. Section 498A of the Indian Penal Code was passed to protect women against marital cruelty and dowry harassment. This allows the arrest of the husband and his relatives solely on the basis of allegations made by the wife, without any evidence and investigation. Section 498A, being non-bailable, allows punishing the accused by imprisonment even before the guilt is established. Unfortunately, it is increasingly being misused by women to settle scores with their in-laws and husband. Innocent families have been imprisoned only on the basis of the wife's allegations.
- 

■ ShilpaRane

Several authorities have noted that almost 98 per cent of cases filed under Section 498A are based on false accusations. We underwent emotional trauma y family and I have been at the receiving end of women protection laws. My brother's wife wanted to divorce him. To make the divorce process easier, she filed a harassment case against us under Section 498 A of the IPC. We always treated her with respect and it came as a shock. This completely shattered my brother and plunged him into depression. She didn't even spare a thought about the one-year-old child she has with my brother. My family had to go through a lot of mental and emotional trauma. We had to run from pillar to post to prove our innocence. It's been three years now and she has not produced any evidence to substantiate her claims. She has realized that her case is weak and wants to reconcile with us now. But the case is in our favour and we are waiting for the court's verdict.

■ ManjuBharghav

How can they arrest without proof? Section 498 A of the Indian Penal Code needs to be revised. Such laws will only be misused by women for personal gain. Which couple does not fight? We should encourage couples to sort out their difference mutually. Dragging each other to court and implicating family members will only lead to a complete breakdown of the social fabric of our society. My family and I went through a harrowing time after a relative registered a complaint against us under the draconian 498A of the Indian Penal Code. In case of an accident or murder, law requires proof before action can be initiated against the accused. So why does the law allow innocent families to suffer merely on the basis of a false complaint. There's an urgent need to look into the misuse of women protection laws.

■ Madhavi Pillai. Family counselor and advocate

Lawyers are equally responsible Only Section 498A of the Indian Penal Code allows the arrest of the husband and his male and female relatives, irrespective of their age and health, without any evidence and investigation. I am not against the law. But I do think we need to find ways to stop its misuse by women. If a woman registers a complaint under Section 498A, police are bound to take action. But all complaints are not genuine. Many women misuse the law to harass their in-laws. Recently, a woman approached me. She wanted to file a complaint against her husband under Section 498A because her husband had failed to keep his promises. I turned down her case and advised her to resolve the issue amicably. Now, another lawyer has taken up her case. I think the lawyers too are equally responsible for the misuse of the women protection laws.

- PR Gokul. Director, Protect Indian Family Foundation

Abusers of the law should be jailed My NGO is creating awareness on the misuse of the Section 498A of the Indian Penal Code. We have already organized about 25 press conferences in cities such as Luck now, Bangalore, Hyderabad and Delhi. This law came into effect to prevent women against domestic violence and harassment for dowry. It is an important law but the practice of arresting people without investigation needs to be changed. Most women misuse the law not only to extract money from their spouses, but also due to career constraints or adjustment problems faced by them after marriage. Misguided advice turns petty quarrels into big fights. I too have been at the receiving end. Earlier, I used to feel very lonely and didn't know whom to approach. According to me, the person who misuses laws should be arrested and put behind bars.

- **Balkrishna Shetty. President, Human Rights and Development Organization**


Some complaints are made in anger. The rampant corruption in our system has led to misuse of women protection laws. When an angry wife approaches the police, she is received by lower rank officers. Depending on her husband's financial condition, these officers advise the woman on further course of action. Mostly, women from lower income groups don't file such complaints. It's usually the financially well-off women who register complaints under Section 498A. I think only an officer of the rank of commissioner should look into the matter. In many cases, the wife gets angry and rushes to the police station. A senior officer would listen to her grievances and give her sound advice. It may be possible that the woman took the step in anger and may change her mind later.

■ Anita


Kumar

How many laws are there for men? Many women are using the laws to satiate their greed for money. They use the law to extract money from the husband and in-laws. In fact, the law is being used by women against women. Old mothers and pregnant sisters have been sent to jail on the basis of mere allegations. I am not against the law but I am against its misuse. There are many laws to safeguard the interest of women. How many such laws do we have for men? Even they need legal protection. My brother was implicated by his wife. She registered a complaint against him under Section 498A. Our family went through a very difficult time. I recommend that those who misuse the law should be severely punished. We can't solve marital problems by dragging families to court and sending them to jail.

- A senior officer should investigate We need laws to protect women against marital cruelty and dowry harassment. However, I feel there's need to revise the stringent Section 498A of the Indian Penal Code. At present, the accused is arrested as soon as a case is registered under Section 489A and the investigations are carried out later. Old and ailing parents and relatives of the husband have been jailed. I think it should be made aailable offence.



- Since the nature of charges is very serious, the matter should be investigated by an officer of the rank of deputy commissioner or commissioner. Many women are using the law against their in-laws and husband to extract revenge. Each one of us is equally responsible for the rampant corruption in our system that allows one to misuse such laws.



Misuse of DOWRY LAW (498A) By women

- This is all about Indian Penal Code 498a, How Indian women harass men with the help of Law. when they are not able to adjust to husband home or with her in laws. or when husband find out her Pre marital / Extra marital Affair, or husband is not doing as she and her family wish and hight of all when she want divorce and money from husband, IPC 498a is right tool to do all this legally.


MISUSE OF LAWS OF DOMESTIC VIOLENCE BY WOMEN

- There are many instances where the main point of discord between the couple was that the wife wanted the husband to leave his parent's home or an old parents and set up a nuclear family. Since the man resisted this move, the wife used 498A as a bargaining device, without success though. In one instance, the young wife being the only daughter of a wealthy businessman, wanted her husband to move in with her parents because his income allowed middle class comforts, not the luxuries she was used to. Since he did not succumb to the pressure of leaving his parents, or if a woman having extra-marital affairs, wanted to settle with new partner where the husband and her in-laws resist, that too after having the grown up children, she got both her husband, father and mother in-law arrested and put in jail for several days under 498A. Is it not a misuse of law against our own and that too loved ones? might be the percentage of misuse is less but trust me, many homes and families are badly hit!!


Protect men from misuse of laws by women

- CHENNAI: This is a stag party with a difference. Men, who accuse their girl friends, wives and fiancées of duping them or foisting cases against them, have come together in Tamil Nadu to put up a collective fight.
- According to the general secretary of Association for Protection of Men, Madhu Sudhanan, more than 1000 members are aged below 25 years and 4000 members are below 40.

- At a meeting on Sunday, attended by over 50 men, there was a talk about rights and laws favouring women. But the association is not to protect men from the misuse of the Domestic Violence Act and Dowry Harassment Act alone but also youngsters falsely accused of eve teasing.
- As one man said: "I was dragged by the police and beaten up in the station. If a girl has a personal enmity, she takes it out by falsely accusing men of eve-teasing. And there is no verification done by the police when it comes to women, they just accept what she says as the sacred truth." Another member of the association said that he was right now on the streets after he registered his family property in the name of his lover, who conveniently duped him after that.


- 
- Madhu Sudan an said that many young men were being cheated by girl friends – they emotionally ditch the man, by marrying men of their parents' choice. But such cheating was never taken as a crime, he said. Most of the association members had been harassed by women – wives, girlfriends, fiancées – or duped.
 - But the system is biased towards women, Madhu Sudanan said, and added there are 84 laws for the protection of women's rights, but none for men.

- “Gone are the days when women were exploited. Now, many women misuse the laws meant for their protection. Many young men have been trapped by the laws.
- Many youth ditched by girl friends are unnecessarily harassed by police following false complaints, another association member in his mid-30s, said.



Comments:

- Replace the word in Domestic violence act the men/women to person and husband/wife to spouse, let the punishment equal for all who do the domestic violence, will women organizations will agree, if they think they do not do the domestic violence against men?



- **Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005**— घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005— मुख्य प्रावधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को तत्संबंधित विधि में सजा मिल सके एवं इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा, और बच्चों के बारे में संरक्षण की सहायता मिल सके । अगर हिंसा की घटना हो चुकी है तो उसके लिए आर्थिक मुआवजा देने का भी प्रावधान है ।
- पीड़ित घरेलू महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन तथा अन्य सुख से रहने की इच्छा का हनन होता हो, मारपीट, भावनात्मक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना और नाजायज शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश, गाली या ताने देना भी परिभाषा में समावेश है। उसके किसी रिश्तेदार को उसके विरुद्ध करना भी उसमें शामिल है ।
- उत्पीड़ित महिला के लिए अधिनियम में कई व्यवस्थाएं अधिकारियों एवं न्यायालयों के माध्यम से दी गई हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर अन्तिरिम निषेधात्मक का भी प्रावधान है। मजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद सत्र न्यायाधीश में 30 दिन में अपील होती है ।
(धारा— 2, 3, 5, 6, 12, 16, 17, 20, 31) इस एक्ट के लागू होने पर इन प्रावधानों का उचित उपयोग महिलाओं के हाथ में है और इनका अनुचित उपयोग होकर वह निर्दोष व्यक्तियों की उत्पीड़न का जरिया न बन जाये, इसकी भी खबरदारी लेने का उत्तरदायित्व भी महिलाओं पर ही है ।

स्रोत : महिलाओं के कानूनी अधिकार, की बुकलेट नम्बर 8/2008 से

BOOKS PUBLISHED

- **These books are kept in the Libraries of different schools and colleges for awareness of students as well as the teaching and ministerial staff. Some books are even kept in the UN-Congress Library at New Delhi.**
- **Teachers of various school are interacting with the students on these issues in zero hours.**
- **About legal aid committees, NGO's / Educational Institutions above 55, and some Newspapers have re-printed/Published these booklets as intimated and about 80,000 booklets titled on women, child rights, dalits, arrest, human rights and HIV have been published and distributed free of cost among the general public to create awareness.**

Legal Awareness Programmes

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- These books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues



- BOOKS**
- माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—
1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) www.herenow4u.de (Eng.)
 2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
 3. अणुव्रत व मानवाधिकार
 4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
 5. बालकों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
 6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। (पुनः प्रकाशित)
 7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। (पुनः प्रकाशित)
 8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
 9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियाँ एवं परिवारों की निरस्तारण प्रक्रिया।
 10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
 11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
 12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। (पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)
 13. दलितों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
 14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
 15. गिरफ्तारी (ARREST) (पुनः प्रकाशित)
 16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
 17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
 18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
 19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ (पुनः प्रकाशित-2008)
 20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. www.rshrc.nic.in
 21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
 22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
 23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
 24. Cyber Law.
 25. Copy-right Law.
 26. e-governance and Court Automation.
 27. Article-14 Right to Equality.
 28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
 29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
 30. Directive Principal of State Policies.
 31. Public Interest Litigations & others.

Fundamental Duties Art 51-A

- The Commission under the guidance of the Hon'ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.
- Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.
- He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

**For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur**

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de <http://justicenagendrakjain.com>

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur

Phone : 0141-2751417, 2751352

आर्टिकल-51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता (कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग हैं। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन.के.जेन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51-ए में वर्णित मुख्य कर्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ-साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सराफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग,
7. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज 0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू-भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, (NIFESM) जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन- डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाड़ा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1 Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल. एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. लोकशिक्षक पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'मृत्युंजय' में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेंट लायन्स क्लब (District 323 E--1 Club No. 026309) व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabetics & Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी-74 धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक



आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षों में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरुकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोड़ते हुए मुहिम को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में वर्ष 2009-2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान-जागरुकता के कार्यक्रम को बढ़तो हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :-

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पिटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टैंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज [इण्डिया] जवाहर नगर, जयपुर [हिन्दी/अंग्रेजी]
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन [धर्म संरक्षिणी] महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट WORLD जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी/ अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बड़ोरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

93. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका— 2010
94. समाचार जगत— समाचार पत्र में प्रकाशित
95. रौनक टाईम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित
96. 'दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र में प्रकाशित
97. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के 'राजस्थान चैम्बर संदेश' (अंक— अप्रैल—2010)
98. स्व0 गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा
99. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई अंचल कार्यालय— जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता
100. सेंट पॉल्स इंगलिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा
101. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर
102. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर
103. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर
104. हैल्प एज द्वारा World Elder Abuse Awareness Day पर
105. Addl. D. G. P. व डायरेक्टर पुलिस एकेडमी तमिलनाडू,
106. International Summer School of Jain Studies, New Delhi
107. D. G. P. राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-



बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड ।



Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



Students reciting the pledge.

राजस्थान पत्रिका

जयपुर, रविवार, 20 जुलाई 2008

12

छात्रों को पिलाई जाएगी मूल कर्तव्यों की घुट्टी

मानवाधिकार आयोग की पहल
पर शिक्षा विभाग से आदेश जारी
जयपुर, 19 जुलाई (का.सं.)

संस्कृत शिक्षा के निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51-ए में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलवाएं।

क्या हैं मूल कर्तव्य

संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं-
 ► संविधान और उसके आदर्श, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें ► राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें
 ► भारत की प्रभुता, एकता-अखंडता, सार्वजनिक सम्पत्ति, वन, झील, नदी व वन्य जीवों की रक्षा करें ► स्त्री सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करें ► हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें ► वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करें ► सभी नागरिकों में समरसता व घ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।

छात्र जीवन से ही नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की पालना की घुट्टी पिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प दिलवाने का आदेश दिया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों की पालना का संकल्प दिलाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसकी प्रतियां आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों, अधिकारियों तथा कई दर्जन स्कूलों में भिजवाई गई हैं। शिक्षा विभाग ने आयोग के सुझाव पर माध्यमिक, प्राथमिक और

बंदियों ने लिया मानव अधिकार रक्षा का व्रत

भरतपुर: भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली जा रही गीता संदेश यात्रा सोमवार को भरतपुर स्थित सेवर कारागार पहुंची। संस्थान द्वारा कारागार में बंदियों को मानव अधिकार रक्षा का संकल्प कराया गया।

कारागार में पहुंची गीता संदेश यात्रा के उपरान्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रीचंद साहू, भरतपुर के अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो, उमेश शर्मा, जेलर श्रीराम शर्मा द्वारा कैदियों को चरित्र निर्माण सहित गीता के उपदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर कैदी भगवान सिंह, कांता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, मुख्त्यार सिंह, मानवीर, सीताराम सहित अन्य बंदियों द्वारा संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी से परमात्मा, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म के संबंध में प्रश्न पूछे गये। इस दौरान जेल परिसर में गिराज महाराज की जय व श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोल गूंजते रहे। 54

अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी निभाएं

अ

नरुहोय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। जहाँ तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी-भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में सिर्फ संप्रदात वर्ग का ही जुड़ना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गाँव ढाणों की आम जनता तक को इससे जोड़ना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सके। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ 19994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुनर्गठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के तारे मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीड़ित के अधिकारों का हनन रोका जा सके। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग खासतौर पर पीड़ित, दलित उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहाँ रुक कर उसको मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएँ और बहाना बनाए कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उर्ध्व अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसन्न हो लेता है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक दुराच्यों व कुरीतियों को सकारात्मक सौच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, वहाँ जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिखा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों को तब समझानी पड़ रही है, जबकि देश पूरी तरह से

स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुल लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह आयोग जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्थाएँ भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर आमनागरिकों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही है। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बड़ी बड़ी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी छोटी बातें, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए आज ईसान हर कार्य को दूसरों से ही अपेक्षा करता है यह स्थिति ठीक नहीं कहीं जा सकती। आयोग में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढ़ावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 प्राप्त परिवादों में से 9418 परिवादों का नरिस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवाद दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कांगजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों को पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस



का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कांगजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों को पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा।

जागरूकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। रानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश को कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोट
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मुद्रें व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में

आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगों की अवेयरनेस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैल्यू ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइट्स जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियोला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफिया कॉलेज की व्याख्याता संस्था रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरिना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।



सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि।

जस्ट अजमेर

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं

जागरूकता मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा।

मानवाधिकार संरक्षण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष दस दिसंबर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा। जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत रख सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए 'दा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993' (एक्ट नं. 10 ऑफ 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1998 में आयोग का गठन हुआ।

जागरूकता सिर्फ मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा। समर्थ लोग अपने अधिकार व मानवाधिकारों के इनन को रोकने में सक्षम हैं, परंतु हर वर्ग खासतौर पर मीडिया, दलित, उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रुककर उसकी मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों के आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानवाधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का इनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

- न्यायमूर्ति एन.के. जैन

Human Rights and duties

Protection of Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to HT Jaipur Live, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning of dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इयके गठन से ही यह प्रयास रस रोक राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित मात्र से कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया जाए। यरूसी है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के खनन से बचाने के लिए यह प्रयाोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सेवा थी कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों को अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो नृशासन में ही मददगार है। अब उनकी सेवा में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आयोग द्वारा शिकायतों को सुनवाई की प्रक्रिया में संशोधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर लॉजिकल कन्क्लूजन से इनका निस्तारण करने के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समूह लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के खनन को रोकने में सक्षम हैं, किन्तु हमें हर वजह खासतौर पर पीड़ित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए जो अल्प मात्र बर्से रखरकर सेवा माव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सदभावना से कार्य करना होगा।



मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा 'ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाइ द पीपुल' के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ़ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तीनों ही स्तंभ अपने-अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इनमें कोई छेदा-बड़ा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। अतः सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एच से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिए गए हैं। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को तो संविधान में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। तथागत ने कि 'इन्डोरेंस ऑफ ला

मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ

भारतीय संविधान के आर्टिकल-51 ए में हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए कहा गया है। संविधान का आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्वयं का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वयं का अर्थ है, हम अपने देश की आन-बान और शान का प्रतीक हैं। इसके तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः बलिदान, शांति और प्रगति के प्रतीक हैं और यथेष्ट में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और सद्गुण के महत्व को समझते हैं वे तो अलिट्ट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते हैं, परन्तु आज हम देख रहे हैं कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह-जगह फायर और फ्लारिडक के सद्गुण चिह्न रहे हैं तथा लोग इसे खरीद भी रहे हैं। परन्तु इन वज्यों को खरब हो जाने पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गाली पर तिरंगे बगवाते हैं तथा तहमद की तरह लपेटते हैं और जीतने की खुशी का इन्हें बस तरह से करते हैं कि तिरंगा जमीन और पानी में आ जाता है, जबकि किसी भी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फलक जीतने पर भारतीय तिरंगे कहराते हुए राष्ट्रगान बजाने पर भी ध्यान नहीं जाता है या वे इसे इसके प्रति गंभीर नहीं है। अतः हमें इस प्रकृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किसी अन्य विशेष अवसर पर राष्ट्रगान बजने पर हमें संविधान की मुद्रा में खड़े होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नयकों ने भारत छोड़ो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्याय्यकरण करने जैसे अनेकानेक आंदोलन चलाए थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को समागम भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमें देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला और भ्रष्टाचार मिटाने जैसे ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी साम्प्रदायिक संघर्ष बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शों की पालना आज के समय को सबसे बड़ी मंशा है।

हमारी वस्ती स्वयं से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नहीं रही तो धरती का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें संविधान की मंशा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और तट्य जमीन की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे जीवन से खेलने के समान है। (आज)

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह-जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग-विभेद के नाम पर लोग एक-दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह समाज और देश के लिए अत्यंत घातक है। धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी। आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाने हुए सभी धर्मों का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई-बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्म: और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आधारभूत सिद्धान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्हीं सिद्धान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कही गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात् जहां दया है, वहीं धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया रखे और हिंसा से दूर रहे। सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक हैं। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे थकेल रहे हैं। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें स्वयं ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वंस है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनियों, धर्म गुरुओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरुओं द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी विचारों का तैयार होना से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकैट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है। भाईचारे की भावना और एक-दूसरे के सुख-दुःख

में भागीदारी हमारे देशवासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परम्पर भाईचारा धर-परिवार व बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। हमें स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ-साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई जा रही गतिविधियों में भी बढ़बढ़ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हर मां-बाप अपने बच्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पाठ्यादि करवाकर बढ़ा आदमी, पढ़ाई वाला,



स्टेड्स वाला बनाना चाहते हैं। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टीलीजेंट व अच्छा आईस्कूल रखने वाला है। पर मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कंप्यूटर संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तो मां-बाप के आचरण व गुरुजनों से ही प्राप्त होते हैं, परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे हैं, जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे हैं। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 51ए में निहित हैं। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां-बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल 51 ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाए।

हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के सभी धर्म और साम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरु भी आमजन को सदगुणों, मर्यादित जीवन के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे रहे हैं। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ हमारे संविधान के

आर्टिकल-51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्म, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही भावने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। आज एक तरफ तो देश में ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे हैं और कुछ/महानुभाव देश-विदेश के समृद्ध लोगों की लिस्ट में सुमार है और उच्च स्तर की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनी से ही शोषित हो रहा है, जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ-साथ इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढ़ावा व जानवरों की तस्करी, महिलाओं-बच्चों एवं मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, बुजुर्गों, महिला व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है। यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है; सिनेमा और टीवी पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ, इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों की निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्पक्ष के साथ करना होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालूम है, परन्तु क्रियान्विति की कमी है।

इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं शुद्धि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया की समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। लोग अपने कर्तव्यों को समझे, उनकी पालना करें, जिससे उनके अन्तःकरण में परिवर्तन के साथ-साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छोड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी

इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेंडर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाए हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 76 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर भी प्रकाशित किया जाता है,

जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।



हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन,

ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

महिलाओं की दयनीय स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

जोधपुर, (निसं)। आज से कानून एवं महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना... विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जयनारायण विश्वविद्यालय एवं महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। महिला महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुई इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति डॉ. लोकेश कुमार शेखावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष

डी.एल. जोहर ने की। संगोष्ठी के निदेशक विधि संकाय के प्रो. रामनिवास शर्मा ने बताया कि आदिकाल से पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। वैदिक काल को छोड़कर स्मृति काल से देश के स्वतंत्र होने तक महिलाओं का स्तर व स्थिति दोगम दर्जे की रही है और महिला ज्यादातर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुष पर निर्भर रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जारी होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रथम बार हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सदस्य राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। सुधार को तेजी से अप्रेषित करने के उद्देश्य से 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कन्वेंशन को संघ के सभी सदस्य राष्ट्र को सहमति से लागू किया।



मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रही



ह

जाती-साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष करने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चौंकते और हैरान हैं, क्योंकि मनुष्य समाज की खुद अब यह पता चला है कि उसके भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का रीनीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का चाणूरकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की श्रेणी बंधारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज़ पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

इसनाकरुण **वेद व्यास**

राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियाँ अल्पसंख्यकीय हो गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथक्तावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएँ जाती, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता को कोख से ही जन्म ले रही है। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ़ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों को बाँटे अब केवल अदालतों फिसली तक सीमित हो गई हैं। हमें लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और अयमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून हैं, तो अन्याय और शोषण के अधिकार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र हैं। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु भनो-धनो से कोई यह नहीं पूछता कि- विद्यमान पर परमाणु बम धराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनी को उनकी मातृभूमि से बेदखल करके दिया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को दबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप को राजनीति क्यों थोप रहा है? आज पूरे दुनिया के छोटे-बड़े देश इसलिए गुलामी के हीम समूह बनते जा रहे हैं कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और राष्ट्रपिता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा क्यों करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का बेरोज, चाल और चरित्र ही समाज और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी हैं तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं हैं। आजादी के बाद 1948 में तद्वृत्तता मायाका गांधी को हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी त्रिकूट उपद्रव भी इस बात के ही गवाह हैं कि मानवाधिकार के प्रति, राज्य व्यवस्था की पोषित राजनीति में ज़ोरों जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए निष्पक्ष विरोधी दंगे और 25 साल पहले घोषण की गैस जालदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लोभपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी धेकसूर खाने वालों का भी कोई निष्पत्ता-नशा था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दारतान इसलिए भी बढ़ चरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन अस्तित्व में या सभी आयोग निहथे और प्रभावहीन हैं, क्योंकि यहाँ संरक्षक संस्थाएँ ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी


मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियाँ, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलख निवासी और मद्रास से कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापी का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताएँ कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपत्तियों कहांनी सुनी है, और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की कड़ी-कड़ाई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन दातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग को पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएँ जन सहयोग से छपवाकर अधिकतम स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी हैं तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रहा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक को भुमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ताओं की कार्यशीलता को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकारों को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

भ्रम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी समय समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अलखा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और धमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसलिए यहाँ सच्चा और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और अस्मानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक युवावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों को रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की पारसंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और भड़िलाएँ ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उन्नीड़न का शिकार हैं तथा जागरूकता का दमन अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में बताया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र ही हीन के समार हमारे मानवाधिकारों को है।



मानवाधिकार रक्षा के संकल्प समारोह में मंचासीन अतिथि।

खमनोर

जागरूक रहें अधिकारों के प्रति


मानवाधिकार की रक्षा का संकल्प

निर्भीक होकर करें शिकायत

एक सवाददाता खमनोर, 10 मई। कर्नाटक व मद्रास के पूर्व न्यायाधीश व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन. के. जैन ने कहा कि आमजन अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें क्योंकि भारतीय संविधान सभी को समानता, स्वभिमान व स्वावलम्बन के साथ जीवनयापन का अधिकार भी प्रदान करता है। वे रविवार को निकटवर्ती महाराणा प्रताप संग्रहालय में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की ओर से आयोजित मानवाधिकार रक्षा के संकल्प समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव के सभी अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होता हो तो निर्भीक होकर आयोग से इसकी शिकायत करें। शिकायत पर शीघ्र कार्यवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी को सोच बदलनी होगी तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखनी होगी। कहीं भी हों, निर्भीक होकर शिकायत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख किशनलाल गमेती ने की। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी व संग्रहालय संस्थापक मोहनलाल श्रीमाली ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में खमनोर प्रधान पुरुषोत्तम माली, तेजसिंह बान्सी, आंकार सिंह, संस्था सचिव उमेशचन्द्र शर्मा सहित अनेक अधिकारियों ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

पीड़ित को मिले जल्द राहत : जैन



राजस्थान पुलिस की ओर से शनिवार को आरपीए के ऑडिटोरियम में आयोजित 'मानवाधिकार और पुलिस' विषयक संगोष्ठी में भाग लेते पुलिस अधिकारी और मानवाधिकार के अधिकारी।

मानवाधिकार एवं पुलिस पर आरपीए में हुई संगोष्ठी

जयपुर, (कासं.)। महानिदेश पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय ने मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर एक संगोष्ठी राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में आयोजित की गई। संगोष्ठी में स्वागत भाषण देते हुए अति. महानिदेशक (अपराध), प्रदीप व्यास ने मानवाधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि पुलिसकर्मीयों को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए। जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त राहत मिल सके व उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जेल व न्यायालय सभी प्रयत्नीशील है। उन्होंने प्रसन्नता

जाहिर की कि पहले की तुलना में पुलिस अधिकारियों के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है व थानों में परिचालनों की समस्याओं के निराकरण में तेजी आई है। पुलिस संरचना में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही प्रकार से नहीं करेंगे तब तक सुधार संभव नहीं होगा। वहीं संगोष्ठी में पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस के सभी स्तरों, थाना स्तर व ग्राम सभा स्तर तक संवाद आयोजित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि हमें यह आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने कहा कि मानवाधिकार सबसे ज्यादा पुलिस से जुड़े हुए हैं। आचार्य ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवेदनशील व प्रशिक्षित हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत सिपाहियों व बन्दियों के प्रहरियों के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करना ज्यादा जरूरी है। खुले सत्र में

प्रतिभागियों ने अवैध मानवाधिकार संगठनों पर रोक लगाने, मानवाधिकार आयोग को और सक्षम बनाने, तहसील स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किया जाना आवश्यक है। संगोष्ठी के समापन पर पुलिस महानिदेशक हरीशचन्द्र मीणा ने समस्त सुझावों पर अमल करने का विश्वास दिलाते हुए आभार व्यक्त किया। अन्त में महानिरीक्षक पुलिस मानवाधिकार एन. मोरिस ब्रावू ने संगोष्ठी में पधारे हुए अतिथियों, वक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, सीएलजी व शांति समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस (कारागार), ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के.एस.बैस) अति. महानिदेशक पुलिस, कपिल गार्ग, सुधीर प्रतापसिंह, भाष्कर चटर्जी, महानिरीक्षक पुलिस आलोक त्रिपाठी, रामफलसिंह, मेघवाल मीणा, बी.एल. सोनी व निदेशक आर.पी.ए. डॉ. भूपेन्द्र सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्राक्कथन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया जाये। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक की मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों को यह सोच थी कि यह आयोग उन पर थोपा गया है, परन्तु आयोग द्वारा यह बताने पर कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों से अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। पिछले करीब 5 वर्षों के निरन्तर प्रयास से अब उनकी सोच में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है।

आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई के अलावा समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समूह लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खास तौर पर पीडित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम भाव नहीं रख कर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सद्भावना से कार्य करना होगा।

विविध कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों के माध्यम से जागरूकता का लघु प्रयास किया गया। आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित की गई है, जो स्कूल लाइब्रेरीज में भेजी गईं। यह भी खुशी की बात है कि कई स्कूलों में जीरो ऑवर के दौरान बच्चों को इन विषयों की जानकारी दी जा रही है। जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। कई व्यक्तियों ने कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से अपने प्रियजनों की याद में करीब 6000 पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करवाया। इसके अलावा अन्य बुकलेट्स जैसे-महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, HIV AIDS, Human Rights मानवाधिकार और कर्तव्य, मानवाधिकार व जैन धर्म, राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों द्वारा 80,000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को निःशुल्क वितरित किया गया। इस पुनीत कार्य में उक्त संस्थाओं का प्रदेश के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा of the people, for the people, by the people के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिये चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा।

मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपने कार्य के साथ-साथ इस जन जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनमें बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदरभाव, मानवीय मूल्यों को समझने के संस्कार बनें। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पिता की भावना जागृत हो। मेरे मतानुसार इस मुहिम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तथा सीबीएसई का योगदान बहुत महत्व रखता है। इसी क्रम में, लगभग 95 संस्थाओं द्वारा इस प्रारूप के 80000 से ज्यादा कलेण्डर्स और 50000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्य भर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाये व कुछ संस्थाओं ने करीब 4000 व्यक्तियों को ई-मेल भेजकर इस अभियान में सहयोग कर आयोग को अवगत कराया है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'त्रैमासिक न्यूज लेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक जानकारी देने का

प्रयास किया जा रहा है। 18 लघु पुस्तिकाएँ दिशा-निर्देश व अन्य गतिविधियों की एक कन्सोलिडेटेड किताब "मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार" विभिन्न स्कूलों कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। विगत करीब पांच वर्षों में आयोग द्वारा 16 न्यूजलेटर्स के अंक प्रकाशित करवाये जा चुके हैं। आयोग ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार प्रेषित किए हैं।

इसके अलावा विभिन्न लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं ने आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान अपने-अपने विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए। उनके द्वारा प्रोजेक्ट विभिन्न विषयों पर word files तैयार की। कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बाल श्रम, पर्यावरण, रेगिंग, वूमेन ट्रेफिकिंग, कैंसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल जस्टिस, फीमेल फॉर्टीसाइट, आर्टिकल-51ए, आयोग, आयोग की गतिविधियों व दिशा-निर्देश आदि पर पॉवर पाइंट प्रोजेक्ट्स तैयार किये। आयोग ने 14 विषय की (Consolidated) सी.डी. व फिर 7 विषयों की (Consolidated) सी.डी. तैयार की। विद्यार्थियों की अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सी.डी. सम्बन्धित लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी में दिखाई जा रही हैं। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई (Consolidated) सी0डी0 का अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्ट पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों को अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया जा रहा है, प्रशंसनीय है।

आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार प्रसार से ground realities की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों तथा लोक सेवकों के साथ-साथ आमजन में भी नैतिकता व अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मेरा मानना है कि सिर्फ सरकार, कानून बनाने व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ कर हम सबको सहयोग देते हुए कार्य करना होगा।

आयोग में पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवार प्राप्त हुए। जिनमें से 16050 के लगभग परिवारों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल कर निस्तारण किया गया। इस वर्ष 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया गया व 31.3.2010 को 537 शेष रहे। वैसे नये, पुनः सुनवाई व पुराने 921 शेष परिवार आयोग के समक्ष लम्बित हैं। अबतक लगभग 200 दिशा-निर्देशों में से राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियांच्छित कर आयोग को सूचित किया। परन्तु शेष व Recurring Cause of Action वाले मामले बाकी हैं। कल्याणकारी राज्य में कार्यरत सभी लोक सेवकों की जिम्मेदारी है कि वो आमजन के मानवाधिकारों हनन को रोकने में तत्परता से सहयोग दें, संवेदनशीलता रख आमजन की समस्याओं का निराकरण कर सुशासन प्रदान करें।

लोकतंत्र में मिडिया की भूमिका का भी बहुत महत्व है। अतः आयोग मिडिया से भी जनसाधारण में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने हेतु अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा करता है।

अतः सरकार के साथ-साथ सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक होंगे।

अंत में, मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन व जागरूकता के कार्यक्रम में सभी महानुभाव बंधुओं के सहयोग व योगदान के साथ-साथ राज्य सरकार व सभी विभागों, आयोग के माननीय सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों, सभी संस्थाओं एवं पत्रकार बंधुओं का मैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ।

"अधिकारों के प्रति जागरूक रहो - कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।"



आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यों की निरन्तर मोनिटरिंग करने बाबत निर्देश

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे- मंदबुद्धि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्धि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारु योजना लागू ना हो, ऐसे पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत उन्हें लाभान्वित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सडकों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिक्रमणों की रोकथाम के साथ-साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारु एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह रथलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र मे बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय-समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मशीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख-रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित/ किडनी पेशेन्ट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाएँ सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांसफार्मर को सुव्यवस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सडकों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने-लेजाने वाले ऑटो- टेम्पों, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टर्स का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं।



इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा- निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतों पर अन्य संस्थाएँ बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय-समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ-साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग दें जिससे काम में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."

"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"

- Mahatma Gandhi

Bibliography

Thank you
YAHOO!
INDIA


Google™



WIKIPEDIA

ACKNOWLEDGEMENT

I Deepika Verma would like to acknowledge Mr. Justice N.K. Jain, Chairman Human rights commission, Rajasthan under whose able guidance I have been able to accomplish my project on the topic "Misuse of Women Law". I would like to thank him for sparing his valuable time.





THANK YOU